न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16 / 76 / 25	2025 / 172	05.02.2025	30.10.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. उगन्ती पुत्री भौंरया,
2. चमेली पुत्री गंगाधर,
3. छुटल्ली पुत्र मांग्या,
4. दीवल पुत्री भौंरया,
5. नन्दू पुत्र हरी,
6. नाहर सिंह पुत्र भौंरया,
7. फूलसिंह पुत्र भौंरया,
8. बृजलाल पुत्र हरी,
9. महाराजसिंह पुत्र हरी,
10. राजो पुत्री हरी,
11. रामकला पुत्री भौंरया,
12. लक्खू पुत्र हरी,
13. लच्छो पुत्र हरी,
14. सरबती पत्नी स्व0 समय सिंह,

जातियान माली, निवासीयान ग्राम नूनिया, तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः–
01–श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी
02– अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम नूनीया तहसील कठूमर जिला अलवर की हाल आराजी खसरा न0 667 / 353 रकबा 0.10 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अप्रार्थी मांग्या (मृतक) पुत्र श्री औंकार जाति माली निवासी नूनीया के नाम ग्राम नूनीया के आराजी हाल खसरा न0 667 / 353 रकबा 0.10 है0 भूमि कृषि हेतु आवंटन की गयी थी। जिसका नामान्तकरण संख्या 23 गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हो गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

ग्राम नूनीया में स्थित भूमि खसरा न0 667/353 रकबा 0.10 है0 अप्रार्थी के नाम से आवंटित हुई थी, जो कि वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074–77 में लगातार खाता संख्या 320 पर मूल आवंटी के वारिसान के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। आवंटी द्वारा आवंटन से प्रथम दो वर्ष में संपूर्ण रकबे पर काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है।

अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वर्ष 1975 में जो आवंटन अप्रार्थी को हाल आराजी खसरा न0 667/353 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम नूनीया तहसील कठूमर का किया गया, को निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित रहा है, अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्ज। उपखण्ड अधिकारी के आदेश द्वारा जारी आवंटन आदेश से अप्रार्थी (गैर–खातेदार) मांग्या (मृतक) पुत्र श्री औंकार जाति माली निवासी नूनीया तहसील कठूमर को हाल आराजी खसरा न0 667/353 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम नूनीया भूमि का आवंटन किया गया था। पटवारी हल्का बसेठ की रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 के अनुसार उक्त आराजी मुताबिक हाल जमाबंदी अनुसार ग्राम नूनीया के हाल आराजी खसरा न0 667/353 रकबा 0.10 है0 किस्म बारानी–3 वाके ग्राम नूनीया अप्रार्थी एवं अप्रार्थी के वारिसान छुटल्ली पुत्र मांग्या हि. 1/5, उगन्ती, दीवल, रामकला, लच्छो पुत्रीयान भौंरया हि. 1/35, नाहरसिंह, फूलसिंह, महाराजसिंह पुत्रान भौंरया हि. 1/35, चमेली पुत्री गंगाधर हि. 1/5, नन्दू, बृजलाल, लक्खू, भगवानसिंह पुत्रान हरि हि. 1/25, राजो पुत्री हरि हि. 1/25, सरबती पत्नी स्व. समयसिंह हि. 1/5 समस्त जातियान माली निवासीयान नूनीया तहसील कठूमर जिला अलवर के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। गैर खातेदार आवंटी (मृतक) के नाम उक्त भूमि आवंटन के द्वारा दर्ज हुई जिसका गैर खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 23 स्वीकार हुआ। उक्त आवंटित भूमि आवंटी व उसके वारिसानों द्वारा काश्त नहीं की गई, जिससे आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा साबित नहीं होता है। उक्त भूमि पर मौके पर पोखर बनी हुई है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी उक्त भूमि अब्दुल रहमान बनाम सरकार की श्रेणी (भराव क्षेत्र–नदी,पोखर,तालाब,नला आदि) में आती है। मौके पर अप्रार्थी गैर–खातेदार का कब्जा नहीं है। आवंटी (मांग्या) गैर खातेदार (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं करने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 स्वीकार करने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थी (गैर–खातेदार) मांग्या पुत्र औंकार जाति माली निवासी नूनीया तहसील कठूमर को हाल आराजी खसरा न0 667/353 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम नूनीया की भूमि का किया गया आवंटन को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)